



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226543
CG-DL-E-13042021-226543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1463]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1463]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1574(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH44 के कि.मी. 151 कि.मी. से 187 कि.मी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH44 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायुक्त	राष्ट्रीय राजमार्ग	जम्मू और	रामबाण	बनिहाल	1 नगम

		संख्या NH44 के कि.मी. 151 से 187 तक	कश्मीर			2 डोलीगाम
						3 गुंड अदालकोट
						4 चमलवास
						5 करालचिहाल
						6 खारपोरा
				रामबन	1 गम	
					2 सेन्चा	
					3 मरोग	
					4 डिगडोल	
					5 सेरी	
					6 रामबन	
				रामसू	1 सुजमतना	
					2 शगन	
				खड़ी	1 नाचलाना	
					2 खड़ी	

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1574(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 151 to Km. 187 of the NH44 for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH44 in the State of JAMMU & KASHMIR.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	151KM To 187KM	JAMMU & KASHMIR	RAMBAN	Banihal	1 Nagam
						2 Doligam
						3 Gund Adalkote
						4 Chamalwas
						5 Kralchihal
						6 Kharpora
					Ramban	1 Gam
						2 Sencha
						3 Maroog
						4 Digdol
						5 Seri
						6 Ramban
					Ramsoo	1 Sujmatna
						2 Shagan
					Khari	1 Nachlana
						2 Khari

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/]

RAJESH GUPTA, Director